इकाई 10 शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.1.1 शिक्षा नीति का महत्व

10.1.2 शिक्षा नीति–निर्माण में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियाँ

10.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकासक्रम

10.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

10.3 संशोधन (1992) के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

10.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समस्याएँ और मुद्दे

10.5 नई शिक्षा नीतिः सतत् संशोधन की आवश्यकता

10.6 शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.)

10.6.1 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

10.6.2 शिक्षा का अधिकार – मूल अधिकारों का एक भाग

10.6.3 सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार

10.6.4 प्राथमिक शिक्षा में लिंग अन्तर को कम करना

10.6.5 अध्यापक प्रशिक्षण

10.6.6 नैतिकता–आधारित शिक्षा

10.6.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेष

10.7 आलोचनात्मक अवलोकन

10.8 निष्कर्ष

10.9 शब्दावली

10.10 संदर्भ लेख

10.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगेः

- शिक्षा नीति का महत्व और अर्थ;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education) में विकासक्रम का वर्णन;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समस्याओं पर चर्चा; और
- शिक्षा का अधिकार (Right to Education - RTE) अधिनियम, 2009 के महत्व और विशेषताओं का मूल्यांकन।

10.1 प्रस्तावना

शिक्षा मानव विकास की क्रांति का निर्धारक है और देश की प्रगति तथा संवृद्धि के लिए जीवनषक्त है। विकास के लिए देश के एजेंडे पर कोई और अन्य ऐसी मद नहीं है जो व्यापक लोगों की शिक्षा का अधिकार से अधिक जिसकी प्राथमिकता और जिस पर ध्यान दिया जाना हो, या जिसकी आवश्यकता हो। शिक्षा मानव संसाधन विकास पर निवेश है। यह व्यक्ति को उसके वातावरण, समालोचनात्मक विचार व सोच तथा श्रेष्ठ आकांक्षाओं की बेहतर समझ पैदा करती है। हमारे नेताओं का हमेशा ही व्यक्ति की प्रगति और राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देना रहा है। शिक्षा की भूमिका पर बल देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 निम्नलिखित विषयों पर जोर देती हैः

यह (शिक्षा) "संवेदनाओं और प्रत्यक्ष ज्ञान को परिश्कृत करती है जोकि राष्ट्रीय साहचर्य या संयोजन, एक वैज्ञानिक, मनोदषा तथा मस्तिश्क और भावनाओं को स्वतंत्रता प्रदान करती है कृकृ शिक्षा मानव मस्तिश्क के विकास में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करती है। यह राष्ट्र के विकास में शक्ति देने में भी सहयोग करती है।"

10.1.1 शिक्षा नीति का महत्व

भारत में शिक्षा नीति को "सबके लिए शिक्षा" के लक्ष्य का महत्वपूर्ण धुरीय केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है। इस नीति की परिकल्पना सबके लिए उत्तम शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारतीय संदर्भ में शिक्षा नीति राज्य कार्यों, निजी प्रयासों और लोक तथा निजी प्रयासों के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली को सुधारना तथा उसका विस्तार व व्यापक बनाने के लिए एक लक्ष्य या विवरण या दस्तावेज है।"

10.1.2 शिक्षा नीति-निर्माण में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियाँ

भारत के संविधान ने शिक्षा के कार्यों को सरकारी स्तर पर परिचालन के लिए केन्द्र (संघ), राज्य और स्थानीय स्तरों पर तीन सूचियों में विभाजित किया है – संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिक्षा में तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, और विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा (सूची 1 की 63–66 प्रविशिष्टयों के विषय) को समवर्ती सूची में सम्मिलि किया गया है। इसका अर्थ यह है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही "शिक्षा" पर कानून बनाने की शक्ति रखते हैं अथवा वे विधि–विधान का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही शैक्षिक ढाँचे के अंतर्गत केन्द्र सरकार को पूरे देश में शिक्षा के स्तर को समान रूप से लागू करने के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदत्त की गई है।

शिक्षा नीति के सूत्रीकरण का एक जटिल प्रयोग या अभ्यास है। इसमें अनेक संस्थानों जैसे कि नागरिक मंचों, मीडिया, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों, विधानमण्डल और इसकी विशेष समितियाँ, कैबिनेट और इसकी विशेष समितियाँ तथा सम्बन्धित मंत्रालय अर्थात् मानव शिक्षा विकास मन्त्रालय और राज्य शिक्षा मन्त्रालयों को सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य अनेक अभिकरण जोकि नीति के सूत्रीबद्ध करने में विधानमण्डलों और कार्यकारी प्रशासकों का मार्गदर्शन करती हैं अर्थात नीति आयोग, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education - CBSE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिशद (National Council of Educational Research and Training – NCERT), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission – UGC) तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण जैसे कि संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन – यूनेस्को

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - UNESCO) शामिल हैं। इन सबके अतिरिक्त सभी स्तरों पर प्रशासनिक सलाहकार समितियाँ भी बनी हुई हैं जोकि विभिन्न स्तरों पर नीतियों को सूत्रबद्ध करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है।

10.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकासक्रम

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्रमुख चिन्ताएँ राष्ट्रीय प्रगति के कारक के रूप में शिक्षा में वृद्धि करने के लिए किस प्रकार से ध्यान दिया जाए। शैक्षिक पुनर्निर्माण की समस्याओं, विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा पुनः समीक्षा की गई थी जिनमें बहत महत्वपूर्ण हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1948–49), इसके अध्यक्ष डॉ. राधाकृश्णन थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), इसके अध्यक्ष डॉ. मुदालियर थे तथा शिक्षा आयोग (1964–66) के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. कोठारी थे। कोठारी आयोग स्वतंत्रता के पश्चात् यह प्रथम आयोग था जिसने सभी कोणों से शैक्षिक विकास की समीक्षा की थी।

इस रिपोर्ट को अनेक भागों में प्रकाषित किया गया था, इसमें कोठारी आयोग ने भारत सरकार ने यह सलाह दी थी कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक विस्तृत विवरण तैयार करें जिसमें वह राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों के लिए मार्गदर्शन जारी करें। इसी के अनुसार भारत सरकार ने सन् 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विवरण तैयार करके उसे जारी किया थ।

10.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में इस विषय पर बल दिया था कि शैक्षिक प्रणाली इस प्रकार की हो कि जिसके माध्यम से ऐसे युवाओं और महिलाओं को तैयार किया जाए जिससे उनके चरित्र और प्रतिबद्धता राष्ट्रीय सेवा तथा विकास के लिए समर्पित हो। केवल तब ही शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति को उन्नत करने अपनी भूमिका निभाने में समर्थ होगी। सामान्य नागरिकता की समस्या पैदा करनी होगी और संस्कृति तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि देश को अपनी महान सांस्कृतिक विरासत तथा इसकी अपनी अनोखी संभावनाओं के साथ एकरूपता में राष्ट्रों के समुदाय में अपना उचित स्थान ग्रहण करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में जो विशेष बल दिया वह था : 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, अध्यापकों को समुचित और संतोशजनक वेतन दिया जाए जो उनकी योग्यता तथा जिम्मेदारियों के अनुसार हों, क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित किया जाए तथा त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए, शैक्षिक अवसरों में समानता हो; राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को गति प्रदान करना, विज्ञान की शिक्षा, तथा अनुसंधान, कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा एवं साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा, क्रीड़ा तथा खेलों का विकास, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना और उनके शैक्षिक हितों को उन्नत करना, शैक्षिक संरचना में 10+2+3 के ढाँचे को अपनाना, इन सब को सम्मिलित किया गया था। इस तरह से इस नीति दस्तावेज में प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना, इत्यादि की सिफारिश भी की गई है।

सन् 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्वतंत्रता उपरान्त भारत में शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। राष्ट्रीय प्रगति की उन्नति के अतिरिक्त तथा सामान्य नागरिकता और संस्कृति की समझ पैदा करते हुए, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण

को सषक्त बनाना है। शिक्षा प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन करना, सभी स्तरों पर इसकी गुणवत्ता में सुधार करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान देना, नैतिक मूल्यों को पैदा करना और शिक्षा तथा लोगों के जीवन के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

10.3 संशोधन (1992) के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) को सूत्रबद्ध करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की पूर्व रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए इसमें सम्मिलित किया है वहीं पर सन् 1968 में सूत्रबद्ध की गई नीति का लाभदायक प्रयोग किया गया परन्तु कुछ नई परिघटनाओं को इसमें शामिल नहीं किया। उस समय के प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने दिनांक 5 जनवरी 1985 नई शिक्षा नीति को विकसित कने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा है कि "मैं अत्यंत बलपूर्वक कहना चाहूँगा कि समाज की उत्पादकता शक्ति के साथ शिक्षा को संबद्ध किया जाए।" शिक्षा मन्त्री के.सी. पन्त ने 19 अगस्त 1985 को शिक्षा पर अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जिसका शीर्षक "शिक्षा की चुनौतियाँ – एक नीति परिप्रेक्ष्य" था। इसी रिपोर्ट को संसद के पटल पर भी रखा गया था। इस पर शिक्षाविदों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा–परिचर्चा की गई थी। इसके आधार पर अर्थात् चर्चा के निश्कर्शों पर मई, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा स्वीकृत करके अपनाई गई थी। इस नीति को कार्य नियोजन व कार्यक्रमों के माध्यम से (पी.ओ.ए.) (Programme of Action - POA) विस्तृत की गई और इसको अगस्त, 1986 में संसद द्वारा पारित करके अपनाया गया था।

इसके अतिरिक्त दो समितियों (आचार्य राममूर्ति समिति, दिसम्बर 1990 तथा जनार्धन रेड्डी समिति जनवरी 1992) की सिफारिशों के आधार पर इसमें संशोधन प्रस्तुत किए गए इसके पश्चात् संशोधित राष्ट्रीय नीति को सूत्रबद्ध करके उसे मई, 1992 में संसद के पटल पर रखा गया और स्वीकृति होने के बाद लागू किया गया था।

दस्तावेज I – राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) को 12 भागों में विभाजित किया गया तथा उसके निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं:

यह निश्चित किया गया कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अद्भूत निवेश है। यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह सुझाव देती है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को यानि दोनों को मिलकर भागीदारी के साथ इस युग में इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करें। शिक्षा नीति कहती है कि राष्ट्र को पूरी तरह से शैक्षिक रूपांतरण करने के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संसाधनों का सहयोग व सहायता उपलब्ध कराएँ जिसमें असमानताओं को कम करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान इत्यादि को शामिल करके कार्यान्वयन किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति "महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा", अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग व क्षेत्रों जिसमें अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा प्रौढ़ों की शिक्षा संवृद्धि पर विशेषकर जो देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वंचितों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए असमानताओं को हटाने या नश्ट करने तथा शैक्षिक अवसरों का समानीकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें स्थापित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भाग V में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को पुनर्गठित करना निश्चित किया गया है जैसे कि – प्रारंभिक बाल देखभाल तथा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा जिसमें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा पद्धति सम्मिलित की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नीति दस्तावेज विशेष रूप से कुछ चयनित क्षेत्रों के रोजगारों से उपाधियों की आवश्यकताओं को समाप्त करने में बल देता है। इसके अतिरिक्त इस दस्तावेज में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर देता है और कहता है कि महात्मा गाँधी के शिक्षा पर क्रांतिकारी विचारों की तरह से उसको अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूर्ण रूप में परिवर्तन करने के लिए जमीनी स्तर पर सूक्ष्म या लघु योजनाओं का निर्माण करके इस चुनौती के रूप में स्वीकार व क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिपोर्ट का भाग–VI "वर्तमान प्रौद्योगिकी में सुधार करने पर जोर देते हुए कहता है कि नई स्वदेशीय प्रौद्योगिकियों को विकसित करना एवं उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाते हुए, उस पर विशेष जोर देना है।" इसके साथ है यह सभी स्तरों पर स्टॉफ विकास कार्यक्रमों के लिए क्षमता एवं प्रभावकारिताओं को उन्नत करने पर जोर देने की सिफारिशें करता है।

व्यवस्था संचालन का निर्माण करने की इसकी कार्यनीति के भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करती हैः

क) व्यावसायिक संवृद्धि तथा उत्तरदायित्वों में सुधर करने के लिए अध्यापकों को उनके स्तरों की शर्तों पर उनको वेतन भुगतान अवसरों की उपलब्धियाँ, उनके साथ अच्छे व्यवहार के लिए बेहतर रूप से उनके जीवन के साथ व्यवहार करना है।

ख) सुधरे हुए विद्यार्थियों के प्रावधान तथा उनके व्यवहार के स्वीकार्य मानकों के आंकलन पर जोर देना या उनसे आग्रह करना;

ग) संस्थानों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रावधान;

घ) राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरों पर स्थापित स्तर और मानकों के अनुसार संस्थानों के निष्पादन के मूल्यांकन करने की प्रणाली की रचना करना उसकी स्थापना करना;

भाग VIII – राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाग VIII शिक्षा के विषयों और प्रक्रिया का नवीनीकरण करने के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के प्रावधान रखे गए हैं जिसमें सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, नैतिक शिक्षा, भाषाओं का विकास, मीडिया और शिक्षा प्रौद्योगिकी, पुस्तकें और पुस्तकालय, जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा, खेल, योग, शिक्षा तथा सुधारों एवं कार्यक्रमों के विस्तार में युवाओं की भूमिका को समाहित किया है। इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षाओं में सुधार करना भी सम्मिलित है।

शिक्षा प्रबन्धन, जिसमें उच्च प्राथमिकताओं को सम्मिलित करना है और जिनको निम्नलिखित विचारों या प्रावधानों के द्वारा मार्गदर्शित किया गया हैः

क) शिक्षा के दीर्घकालीन योजना बनाने और प्रबन्धन परिप्रेक्ष्य को विकसित करना और इसको देश के विकास तथा आवश्यक जनषक्ति के इसका एकीकरण करना;

ख) शैक्षिक संस्थानों के लिए स्वायत्तता की भावनाओं को विकेन्द्रीकरण और रचना है;

ग) ग़ैर–सरकारी अभिकरणों तथा स्वैच्छिक प्रयासों के सहयोग को सम्मिलित करते हुए लोगों की भागीदारी को महत्व प्रदान करना;

घ) शिक्षा की योजनाओं और प्रबन्धन में महिलाओं की भागीदारी को सम्मिलित करना;

ङ) उद्देश्यों और मानकों को देने का सम्बन्ध में उत्तरदायित्व को सिद्धान्त को स्थापित करना।"

इसके अतिरिक्त, नीति के दस्तावेज शिक्षा की नीतियों के विभिन्न मानकों के कार्यान्वयन के पुनर्रीक्षण के लिए आवश्यकता पर जोर देती है।

भारत में शिक्षा के भविष्य के परिदृश्य के प्रावधानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहु आयी भूमिका को निभाने पर बल देती है।

दस्तावेज II – राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः कार्य नियोजन (1986)

इस नीति दस्तावेज में शिक्षा से सम्बन्धित अनेक मुद्दों की समीक्षा करने के पश्चात् कुछ निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इसमे ं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव को कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तुत किए गए हैं जिन पर ध्यान केन्द्रित किया गया हैः

i) "व्यवस्था कार्य का निर्माण करना।"

ii) प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण और जिला शिक्षा बोर्ड, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institutes of Education and Training - DIET) की स्थापना करना, स्वायत्तता के प्रावधान, संस्थानों की व्यवस्था और अयापकों की जिम्मेदारियों को स्थापित करना।

iii) शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के लिए कार्यों का विवरण तैयार करना, मैकेनिक्स, रचनातंत्र, निधि का प्रबंधन करना।

iv) श्रम शक्ति की योजना और माँगों की पूर्व घोषणा।

v) प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, मुक्त और सतत् शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी।

vi) पाठ्यक्रम और शिक्षण एवं अध्यापन–अध्ययन प्रक्रिया के विकास और उसका सावधि ाक रूप से पुनर्रीक्षण करना; तथा

vii) आँकड़ों पर आधारित, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करना।

इसके अतिरिक्त, शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों एवं शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों या अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा नीति के दस्तावेज में अखिल भारतीय शैक्षिक सेवाओं की संरचना करने की सिफारिशें की गई हैं।

10.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समस्याएँ और मुद्दे

1. नीति–निर्माण और नीति का कार्यान्वयन के बीच अन्तर

संघीय संरचना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सूत्रबद्ध करना या निर्माण करना एक कठिन कार्य है। इसमें संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बहुत सारे अभिकरणों के प्रयास सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय सहमति बहुत ही कम दिखाई देती है क्योंकि विधानमण्डलों के विधायक और संसद के सांसद होते हैं वे विभिन्न दलों से सम्बन्धि

ात होते हैं और वे प्रायः नीति के मुद्दों पर विभाजित हो जाते हैं और अपने भिन्न मतों के साथ इस पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार के मतभेदों से निपटने के लिए कुछ उपायों की परिकल्पना की है। हालाँकि, लोकतान्त्रिक प्रणाली में बहुसंख्यक निर्णय की राय को स्वीकार किया जाता है।

एक नीति अपना सही आकार उसी समय ग्रहण करती है जब उसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ होती है। यही सत्य शिक्षा नीति पर भी लागू होता है। यदि कार्यक्रम योजना, संसाधनों का आबंटन तथा अध्यापन–अध्ययन के वास्तविक परिचालन के साथ जो लोग सम्मिलित हैं, वे अपने कार्य करने की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं और वे लोग अपने कार्यों को बहुत ही हल्क में लेते हैं, और इस तरह से उपयुक्त परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय की जाँच के आधार पर खड़ी होती है। यह सब व्यापक रूप से होता है क्योंकि इस पर व्यापक रूप से निगरानी तथा राजनीतिक सहयोग की भावनाएँ काम करती हैं या उन पर सहयोग प्रदान करती हैं।

2. शिक्षा में समानता का पोषण करना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति असमानताओं को हटाने पर विशेष बल देती है और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने का प्रयास करती है। परन्तु व्यवहार में इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने को लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं किन्तु यह अभी तक पुरुशों और महिलाओं के बीच व्याप्त अन्तर को पाटने में सफल नहीं हुई है। इसी तरह से समुदाय के कमजोर वर्गों और ऊँचे स्तर के लोगों एवं विकलांग तथा सामान्य जनसंख्या के बीच जो शैक्षिक असमानता है उसे यह शैक्षिक व्यवस्था कम नहीं कर पाई है।

3. विश्वसनीय आँकड़ों की कमी

अपर्याप्त आँकड़ा आधार भारत में लोक नीतियों को सूत्रबद्ध करने में बाधा उत्पन्न करता है। यह बात शिक्षा क्षेत्र में सही सिद्ध होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इन कमियों को माना है तथा यह सुझाव दिया है कि शिक्षा की सीढ़ियों के सभी स्तरों पर विश्वसनीय आँकड़ा आधार का निर्माण करने के लिए विस्तृत रूप से सुझाव दिए हैं।

4. प्रशिक्षित अध्यापकों और संरचना के प्रावधान की कमी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह टिप्पणी की गई है कि प्राथमिक विद्यालयों, उच्च और उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित अध यापकों की भारी कमी हे। यह अवरोध शिक्षा में नीति के लक्ष्य को धूमिल करता है। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में संरचनात्मक साधनों की कमी है, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल व्यवस्था बेहद खराब है तथा विभिन्न स्तरों पर इससे संबद्ध क्षेत्रों के बीच शैक्षिक नीति का सम्बन्ध अच्छा नहीं है, इसलिए शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थितियाँ और प्रवेष लेने की स्थितियों और शिक्षा की उपेक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

10.5 नई शिक्षा नीतिः सतत् संशोधन की आवश्यकता

जबसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/92 को सूत्रबद्ध किया गया है अथवा बनाई बनाई है तब से भारत और विश्व में व्यापक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत की राजनीतिक,

सामाजिक और विकास की अवस्था, एक ऐसे चरण से गुजर रही है जहाँ पर आवश्यकताओं का अंबार लगा है इसी के परिणामस्वरूप शिक्षा पद्धति को भी दूरदृष्टि से देखा जा रहा है, अथवा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य बना हुआ है। इसलिए, इसमें सतत् संशोधन की आवश्यकता बन गई है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि भारत के संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 21क को जोड़ा गया है। सन् 2009 में राज्य के हिस्से में या राज्य के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि राज्य अपने यहाँ 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इस अनिवार्यता का पालन करने के लिए राज्य इसके लिए कानून बना कर निर्धारण कर सकता है।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार ने सन् 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रामनियम के अधीन राष्ट्र के लिए नई शिक्षा नीति के निर्माण में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2016 में प्रस्तुत की और इसके पश्चात् मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 का प्रारूप तैयार किया जिसमें कुछ नवीन सुझावों को सम्मिलित करके अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यह दोनों ही दस्तावेजों को नीति–निर्माण व सूत्रबद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश या परिणाम स्वीकार किए गए हैं। इन निर्विश्ट दस्तावेज़ बताते हैं कि विद्यालयों और उच्च शिक्षा नीति पद्धति में कौशल विकास कार्यक्रमों को नवीनतम रूप देकर इसे केवल हमारे विद्यार्थियों को लाभदायक रोजगार दिलाने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह उन विद्यार्थियों में उद्यमयिता सम्बन्ध कौशल को विकसित करने में भी सहायक होगी। यह प्रेरणा भी देगी कि व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रारंभिक अवस्था में पाठ्यक्रम में शामिल कर दी जाएँगी जिससे बच्चों में श्रम और कौशल विकास की दिशा में उनकी सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन आएगा और श्रम के प्रति उनकी प्रतिश्ठा को बढ़ाने में उनकी सहायता करेगा, दस्तावेज आगे कहता है कि शैक्षिक अभिरूचि की जाँच या परीक्षा भी ली जाएगी ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न स्तरों पर उनके वास्तविक संभावित और उनके रूचि के क्षेत्रों की पहचान की जा सकेगी और उनको भविष्य में इसके लिए तैयार किया जा सकेगा।

सरकार नई शिक्षा नीति (New Education Policy - NEP) की संरचना की प्रक्रिया में लगी हुई है ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके जिसका सम्बन्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवीनीकरण और अनुसंधान से होगा साथ ही विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को तैयार किया जाए और भारत को ज्ञान की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शैक्षिक तथा उद्योगों में श्रमबल की कमी को पूरा किया जा सके।

शिक्षा में सुधार की आवश्यकता सतत् रूप से बनी हुई है। नई शिक्षा नीति पर एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंजन बनाए गए हैं, यह समिति षीघ्र शिक्षा में किए जाने वाले सुधारों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

.....

.....

2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

10.6 शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.)

शिक्षा के दोनों लक्ष्य हैं, इसी तरह से मानव संसाधन विकास के उपाय हैं व साधन हैं। यह देश के सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने में संतुलन स्थापित करने यह महत्वपूर्ण और निवारण भूमिका को निभाती है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अधिकतर देश इसके महत्व को समझते हैं

10.6.1 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

संविधान का 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002 में अनुच्छेद 21क को जोड़ा है जिसके द्वारा प्रावधान बनाया है कि "राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।" इसके पश्चात् अगस्त 2009 में संविधान में बच्चों को शिक्षा के अधिकार को बच्चों का मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है।

10.6.2 शिक्षा का अधिकार – मूल अधिकारों का एक भाग

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संविधान (Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act), 2009 यह बच्चों का अधिकार है, यह सन् 2010 तक पूरे देश में लागू हो गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, यह सभी विद्यालयों में लागू होता है परन्तु इसमें सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त न करने वाले अल्पसंख्यकों और गैर–अल्पसंख्यकों के विद्यालयों को इसमें छूट दी गई है। इस अधिनियम में "निःशुल्क" (शिक्षा) को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि राज्य बच्चों की वित्त सम्बन्धी आने वाली बाधाओं को इसके माध्यम से दूर करेगा क्योंकि गरीबी के कारण बच्चे विद्यालयों से आठवीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, वे धन के अभाव में विद्यालय छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।

10.6.3 सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों में अधिसूचित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan – SSA) की योजना को केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित किया गया है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अपने यहाँ लागू करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सहायता दी जाती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर होने वाले खर्चे के भार को 68:32 औसतन दर के रूप में केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच हिस्सेदारी के अनुपात से खर्चे को वहन किया जाता है। इसमें केन्द्र सरकार निम्न प्रकार से अन्तःक्षेप करता है जिसमें नए विद्यालय खोलना, विद्यालयों का निर्माण कराना, अतिरिक्त कक्षाकक्षों की स्थापना करना या बनाना, शौचालयों का निर्माण कराना तथा बच्चों को पेयजल की सुविधाएँ उपलब्ध कराना, अध्यापकों के लिए प्रावधान बनाना, अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रषिक्ष दिलाना और

उनको शैक्षणिक संसाधन द्वारा सहयोग देना, बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और वर्दी देना, शिक्षण उपलब्धियों को सभी स्तरों पर प्राप्त करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन और सभी निष्पादित कार्यों की निगरानी करना है।

शिक्षा का अधिकार का एक मूल अधिकार है जो बच्चों को किसी नजदीकी विद्यालय में अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बच्चों के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसको स्पष्ट किया गया है कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का अर्थ समुचित सरकार की बाध्यता है कि वे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएँ इसमें विद्यालयों में अनिवार्य प्रवेष, उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। तथा इस प्रावधान को लागू करना है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के समूह के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को उत्तीर्ण करने तक निःशुल्क भार वहन किया जाए। निःशुल्क का अर्थ है कोई भी बच्चा शिक्षा षुल्क या खर्च के भुगतान करने के लिए वह बाध्य नहीं है अर्थात् वे अपनी शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करेंगे। क्योंकि गरीब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने में वित्त की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अतः शिक्षा के अधिकार सरकार का एक बड़ा कदम है, इसलिए बच्चों को और उनके संरक्षकों को शिक्षा के इस मूल अधिकार के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विशिष्ट प्रावधान है कि जो बच्चे विद्यालय से बाहर के हैं तथा वे नियमित रूप से विद्यालय में प्रवेष लेने में असमर्थ हैं, उनके विनियोजन प्रवेष के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में प्रवेष से वंचित रहे बच्चे पददलित समुदायों से सम्बन्धित होते हैं – अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, मुस्लिम, आप्रवासी, वे बच्चे जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता है, शहरी उपेक्षित बच्चे, काम करने वाले, इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

10.6.4 प्राथमिक शिक्षा में लिंग अन्तर को कम करना

बालिका शिक्षा

शिक्षा का अधिकार – सर्व शिक्षा अभियान अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताता है तथा पद्दलित समूहों और कमजोर वर्गों से सम्बन्धित बालिकाओं और बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान क अंतर्गत विद्यालय संरचनात्मक सुविधाएँ जिसमें शौचालय और पेयजल की आपूर्ति के लिए सुविधाएँ सम्मिलित हैं जैसे कि शौचालय, पेयजल पर विद्यालय/ग्राम/खण्ड तथा जिला स्तर पर आवश्यकताओं पर आध ाारित राज्य द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत सभी मंजूरसुधा नए विद्यालयों में विद्यालय के बच्चों जिसमें बालक–बालिकाएँ दोनों के शौचालयों और पेय जल की सुविधाओं को उपलब्ध कराना है।

सम्मिलित शिक्षाः शिक्षा के अधिकार – सर्व शिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बालक या बच्चा जिसको विशेष आवश्यकता के साथ बिना किसी प्रकार, श्रेणी और विकलांगता की डिग्री का ध्यान रखे बिना इन सबको उन्नत या श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराई जाए या दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख घटक हैं, बच्चों की अनिवार्य आवश्यकताएँ जिसमें पहचान करना, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, समुचित शैक्षिक योजना की तैयार करना, सहायता का प्रावधान और लागू करना, अध्यापक प्रशिक्षण, संसाधन, सहयोग, छंदम बाधाओं को दूर करना, निगरानी और मूल्यांकन और अनिवार्य विशेष आवश्यकता के साथ बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष घ्यान देते हुए सम्मिलित किया गया है।

10.6.5 अध्यापक प्रशिक्षण

अध्यापकों की उपलब्धताः प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016–17 तक की अवधि में सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत 19.49 लाख अतिरिक्त अध्यापकों के नए पदों की भर्ती की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा का अधिकार अधि ानियम के लागू होने के पश्चात् यह अनिवार्य हो गया है कि केवल उन्हीं लोगों को अध यापकों के लिए भर्ती करेंगे जो लोग अध्यापक पात्रता परीक्षा – टी.ई.टी. (Teacher Eligibility Tests - TETs) की परीक्षा पास कर सकेंगे। सी.बी.एस.ई. अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करेंगे और परीक्षा का आयोजन भी ग्यारह चरणों में पूरा करेंगे।

सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण

अध्यापकों की योग्यता को बरकरार रखने के लिए सर्व शिक्षा अभियान सभी अध्यापकों के लिए 20 दिन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त जो अध्यापक नए भर्ती हुए हैं, उन सबको भी 30 दिन का प्रशिक्षण की व्यवस्था गई है।

10.6.6 नैतिकता–आधारित शिक्षा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान में सम्मिलित मूल्यों के साथ सुसंगतता के साथ में पाठ्यक्रम में विकास करेंगे और जो कि बच्चों की संपूर्ण विकास की गति को सुनिश्चित करेगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि बाल मित्रता तथा बाल–केन्द्रित शिक्षण, बच्चों की ज्ञान पर निर्माण करना, संभावनाओं और ज्ञान तथा बौद्धिकता, भय से बच्चों को मुक्त करना और संकट तथा अन्य संकटों को झेलने की शक्ति इनमें आ जाए, यह इन सब पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम पाबन्दी लगाता है। (i) षारीरिक दण्ड तथा मानसिक प्रताड़ना पर रोक था; (ii) बच्चों के प्रवेष के लिए प्रवेष की प्रक्रिया की संवीक्षा करना; (iii) कैपीटेषन फीस; (iv) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूषन फीस लेकर पढना तथा (v) और बिना मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय का संचालन करना।

10.6.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भाग 12(जे)(ग) का अधिदेश है कि सभी असहायता प्राप्त निजी विद्यालय और विशेष श्रेणी के विद्यालय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगे। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार उन निजी विद्यालयों के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगी जिन्हें सहायता प्राप्त नहीं हुई है, इसका आधार राज्य सरकारों द्वारा अलग–अलग अधिसूचित मानकों के अनुसार दिया जाए जो अधिकतम सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक कार्य योजना और बजट के आकार के आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत भुगतान की होगी।

10.7 आलोचनात्मक अवलोकन

भारत शिक्षा के अधिकार को अधिनियमित करने के पश्चात् दुनिया अन्य 135 देशों की सूची में सम्मिलित हो गया है। हालाँकि, इसमें अभी तक बहुत सारे मुद्दे और समस्याएँ बनी हुई हैं। उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को नीचे दिया जा रहा है।

प्रथम, प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध अध्यापकों की अत्यंत कमी है। सरकारी विद्यालय प्रणाली द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। जबकि देश में यह प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध ा कराने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। इसके साथ 80 प्रतिशत मान्यता प्राप्त

विद्यालय मौजूद हैं, यह भी अध्यापकों की कमी तथा संरचनात्मक व्यापक अन्तर के कारण उत्तम शिक्षा नहीं मिल पा रही है। द्वितीय, जो बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, यह देखा गया है कि उनको विशेष लाभ होता है और इस तरह से शिक्षा में असमानता स्थापित होती है, उसका विस्तार होता है। यहाँ तक की निम्न स्तर से सम्बन्धित बच्चे जब सरकारी विद्यालयों में प्रवेष के लिए आते हैं, उनका प्रवेष नहीं हो पाता है क्योंकि उनका शैक्षिक व अन्य स्तर पर बहुत निम्न प्रकार का होता है, और वे प्रवेष पाने में असमर्थ हो जाते हैं। कुछ असहायता प्राप्त विद्यालयों ने भारत के उच्चतम न्यायालय में केस दायर किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों के सांविधानिक अधिकारों का हनन करता है।

निजी प्रबन्धन के पास यह अधिकार है कि वे सरकारी हस्तक्षेप के बिना अपने विद्यालयों का संचालन कर सकते हैं। इन पक्षों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वंचित लोगों के बच्चों का 25 प्रतिशत का आरक्षित कोटा सरकारी और असहायता प्राप्त निजी बच्चों में लागू करना असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय (अप्रैल, 2012) कहा कि इस प्रकार कर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक नहीं है। इसके बाद केस में न्यायालय ने अपनी व्यवस्था दी कि यह अधिनियम निजी असंख्यक विद्यालयों और बोर्डिंग विद्यालयों पर लागू नहीं होगा। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा कि यह बोध होता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का दृष्टिकोण के साथ निजी विद्यालयों में जहाँ क कोटा का सम्बन्ध है, यह लोक क्षेत्र में अभिप्रेरित विद्यालय नहीं होगा कि वह अपने स्तर या अपनी संरचना में सुधार कर सकें।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की विशिष्ट विशेषताएँ क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) शिक्षा के अधिकार के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

10.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

यह माना जाता है कि शिक्षा मानवीय क्षमता को प्राप्त करने और एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास का मुख्य कारक है, और इस प्रकार शिक्षा राष्ट्रीय विकास को

बढ़ावा देती है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना भारत की निरंतर चढ़ाई के लिए अंतर्निहित कारक है, और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक मंच पर नेतृत्व करना।

भारत में आने वाले दशक में दुनिया में सबसे अधिक युवा लोगों की आबादी है, और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने की क्षमता हमारे देश के भविष्य को निर्धारित करेगी।

वैश्विक शिक्षा विकास कार्यवृत्ति 2030 सतत् विकास की कार्यवृत्ति (Agenda for Sustainable Development) के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित हुआ, जिसे भारत ने 2015 में अपनाया - 2030 के लिए "समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास" संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को अधिगम का समर्थन करने और सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक कायापलट की आवश्यकता है, ताकि सतत विकास के लिए 2030 कार्यवृत्ति के सभी लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त किया जा सके।

पाठ्यक्रम में बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल, खेल और फिटनेस, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य शामिल होना चाहिए, विज्ञान और गणित के अलावा, शिक्षार्थियों के सभी पहलुओं और क्षमताओं को विकसित करना और शिक्षा को अधिक समग्र और उपयोगी बनाना।

शिक्षक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के लिए आवश्यक होना चाहिए। नई शिक्षा नीति को सभी स्तरों पर, हमारे समाज के सबसे सम्मानित और आवश्यक सदस्यों के रूप में, शिक्षकों को फिर से स्थापित करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में हमारी अगली पीढ़ी के नागरिकों को आकार देते हैं। शिक्षा आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता, समावेश, और समानता प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। यह सुनिश्चित करने के लिए पहल होनी चाहिए कि इस तरह के समूहों के सभी छात्रों को अंतर्निहित बाधाओं के बावजूद, शैक्षिक प्रणाली में प्रवेश करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विभिन्न लक्षित अवसर प्रदान किए जायें।

शिक्षा पर पिछली नीतियों के कार्यान्वयन ने बड़े पैमाने पर पहुंच और इक्विटी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 में संशोधित की गई थी और 1986/92 की अंतिम नीति के बाद से एक बड़ा विकास किया गया है, बच्चों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी कमियों को निर्धारित करता है।

शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य तर्कसंगत सोच और कार्य करने में सक्षम अच्छे मनुष्यों को विकसित करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक कल्पना पर केंद्रित है, जिसमें ध्वनि नैतिकता और मूल्य हैं। इसका उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित के रूप में एक समतामूलक, समावेशी और बहुवचन समाज के निर्माण के लिए लगे हुए, उत्पादक और योगदान करने वाले नागरिकों का निर्माण करना है।

उच्च शिक्षा मानव के साथ-साथ सामाजिक भलाई को बढ़ावा देने और भारत को अपने संविधान में परिकल्पित के रूप में विकसित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है - लोकतांत्रिक, न्यायसंगत, सुसंस्कृत, और मानवीय राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सभी के लिए न्याय।

उच्च शिक्षा राष्ट्र की स्थायी आजीविका और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे-जैसे भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था और समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अधिक से अधिक युवा भारतीयों को उच्च शिक्षा की आकांक्षा है।

उच्च शिक्षा के बारे में इस नीति का मुख्य जोर उच्च शिक्षा संस्थानों के बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के समूहों /नॉलेज हबों में परिवर्तित करके उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या अधिक छात्रों को रखना होगा।

इस नीति का उद्देश्य बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के समूहों में जाना है, जो उच्च शिक्षा की संरचना के बारे में इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है। एक विश्वविद्यालय का अर्थ उच्च शिक्षा का एक बहु-विषयक संस्थान होगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के साथ स्नातक और स्नातक कार्यक्रम प्रदान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 2018 में 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ना है। इस नीति में लचीले पाठ्यक्रम के साथ व्यापक-आधारित, बहु-विषयक, समग्र स्नातक शिक्षा की परिकल्पना, विषयों का रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ कई प्रवेश और निकास बिंदु शामिल हैं। अलग-अलग उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित डिजिटल क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके और अंतिम रूप से अर्जित डिग्री की ओर गिना जा सके।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में दो बार कॉमन कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। यह 2022 सत्र से लागू किया जाएगा। स्नातक की डिग्री निकास विकल्पों के साथ 4 वर्ष की होगी जो निम्नानुसार है। 1 वर्ष के बाद बाहर निकलें तो एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, 2 साल के बाद बाहर निकलें एक डिप्लोमा प्रदान करेगा और एक ब्रेक के बाद डिग्री को पूरा करने के लिए एक मिड टर्म ड्रॉप आउट का विकल्प दिया जाएगा।

स्नातक कार्यक्रम प्रकृति में बहु-विषयक होंगे और कला और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। कला, भाषा और संस्कृति को सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया जाएगा। एम. फिल डिग्री को बंद कर दिया जाएगा और 2040 तक, आई.आई.टी. जैसे सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहु-विषयक बन जाएंगे। विज्ञान के छात्रों और इसके विपरीत कला और मानविकी विषयों का अधिक समावेश होगा।

दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। संबद्ध महाविद्यालयों की प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध किया जाएगा और महाविद्यालयों को डिग्री प्रदान करने के लिए अधिक स्वायत्तता और शक्ति प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय की स्थिति समाप्त हो जाएगी और NCERT के परामर्श से NCTE द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, NCFTE 2021 तैयार की जाएगी।

2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री। मेंटरिंग के लिए नेशनल मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्ट वरिष्ठ /सेवानिवृत्त

फैकल्टी का एक बड़ा पूल होगा, जो विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक सलाह/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होगा।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त जहाज और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधान के लिए धन, बेहतर छात्र सेवाओं, MOOCs की क्रेडिट-आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दूरस्थ शिक्षा उच्चतम गुणवत्ता वाले इन-क्लास कार्यक्रमों के बराबर हो।

दुनिया विभिन्न नाटकीय वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के साथ ज्ञान के क्षेत्र में तेजी से बदलाव कर रही है, जैसे कि बड़े डेटा, मशीन सीखने और कृत्रिम बुद्धि का उदय, और परिणामस्वरूप दुनिया भर में कई अकुशल नौकरियों को मशीनों द्वारा लिया जा सकता है, जबकि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और मानविकी में बहु-विषयक क्षमताओं के संयोजन के साथ, विशेष रूप से गणित, कंप्यूटर विज्ञान और डेटा विज्ञान को शामिल करने वाले एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता अधिक से अधिक मांग में होगी।

जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान के लिए भी कॉल करेंगे और परिणामी सामाजिक मुद्दों को बहु-विषयक सीखने की आवश्यकता को बढ़ाएंगे। मानविकी और कला की बढ़ती मांग होगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।

इसका उद्देश्य 2040 तक भारत के लिए एक शिक्षा प्रणाली होना चाहिए जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच हो और जल्दी से बदलते रोजगार परिदृश्य और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि बच्चे ही नहीं सीखें, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखना कैसे सीखें। शिक्षा शिक्षा को और अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, पूछताछ-संचालित, खोज-उन्मुख, सीखने-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीला और निश्चित रूप से, सुखद बनाने के लिए विकसित होना चाहिए।

जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक तरीके संभव नहीं हों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयारी सुनिश्चित करने के लिए महामारी और महामारी में हाल ही में वृद्धि के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों का एक व्यापक सेट कवर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (Indian Institute of Translation and Interpretation - IITI), राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान) पाली, फारसी और प्राकृत के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने, और मातृभाषा /स्थानीय भाषा का उपयोग करने का सुझाव देता है जो शिक्षा का एक माध्यम है।

अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों कार्यक्रम

शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण दोनों संस्थागत सहयोगों, और छात्र और संकाय गतिशीलता के माध्यम से और भारत में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंक वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा। स्टैंड-अलोन तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय आदि बहु-विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। नीति का लक्ष्य 100ः युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक समर्पित इकाई, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण एचआरडी मंत्रालय में बनाया जाएगा, अब स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय। एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (National Educational Technology Forum (NETF) शिक्षण, मूल्यांकन, योजना, प्रषासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों, सरकारी, निजी और ओपन में एक ही ग्रेडिंग और नियम होंगे और सभी यूजी पाठ्यक्रमों में प्रमुख और मामूली विषय होंगे।

उच्च शिक्षा संस्थानों की बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (Multidisciplinary Education and Research Universities - MERUs), आई.आई.टी., आई.आई. एम. IIM के साथ, देश में वैश्विक मानकों के सर्वोत्तम बहु-विषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित किए जाने के लिए। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा के दौरान मजबूत अनुसंधान संस्कृति और निर्माण अनुसंधान क्षमता।

भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India - HECI) की स्थापना चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल ओवररचिंग छतरी निकाय के रूप में की जाएगी। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, मान्यता के लिए समान मानदंडों द्वारा शासित होंगे। शैक्षणिक मानक और संस्थान एक प्राधिकरण द्वारा शासित होंगे।

यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक उपकरण है जो शिक्षा के परिवर्तन और लोकतंत्रीकरण के बारे में लाएगा जो आने वाले वर्षों में पीढ़ियों को लाभान्वित करेगा।

10.9 निष्कर्ष

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि शिक्षा हमारे देश के सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और उपचार व सुधारात्मक भूमिका निभाती है। बच्चे और युवा वर्ग एक सम्पत्ति और मूल्यवान संसाधन है, उनकी सावधानीपूर्वक तथा व्यवस्थित पोषण करना, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधिक पालन पोषण की नितांत आवश्यकता है ताकि ये लोग जीवन की बेहतर गुणवत्ता को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह हमारे शिक्षा का अधिकार के संपूर्ण विकसित की आवश्यकताएँ हैं जिसमें वे शिक्षा में सषक्त आधार का निर्माण करने में सक्षम हों और वे अपना सुहावना भविष्य के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। उच्च कोटि की शिक्षा नए ज्ञान–विज्ञान, नवीनीकरण और उद्यमिकता की आधारषिला रख सकते हैं जिसके माध्यम से यह लोग देश के विकास तथा वैभव व समषद्धि का नेतृत्व कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के महान नेताओं ने शिक्षा की व्यापक भूमिका को स्वीकार किया था। गान्धी और सरदार पटेल हमेशा ही देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए आह्वान करते थे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शिक्षा भारत सरकार और राज्यों की प्रमुख चिन्ता रही है और इंडोनेषिया को व्यक्तिगत संवृद्धि और व्यापक राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण कारक मानते हुए इसमें लगातार प्रगति कर रहे हैं।

10.9 शब्दावली

संघीय व्यवस्था (Federal system): संपूर्ण राष्ट्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कानूनी प्राधिकारिता का वितरण वर्णन करना।

समवर्ती शक्तियाँ (Concurrent powers): सरकार के संघीय व्यवस्था की शक्तियाँ या उनका क्षेत्राधिकार जैसे कि भारत के द्वारा संघीय सरकार और राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्राधिकारिता दोनों के द्वारा शासन में भागीदारी करना।

नीति (Policy): एक सरकार द्वारा निर्मित दस्तावेज कि वह कानून, नियम–विनियम या एक प्राधिकारिता पूर्ण निर्णय के माध्यम से क्या करना चाहती है।

कार्यान्वयन (Implementation): एक प्रक्रिया जिसमें सरकार द्वारा नीतियों को अधि ानियमित किया है इसको न्यायोचित अभिकरणों के माध्यम से परिचालन या संचालन किया जाना है।

10.10 संदर्भ लेख

Basu, D.D. (2015). *Introduction to the Constitution of India*. Gurgaon, India: Lexis.

De, A. & Dreze, J. (1999). *Public Report on Basic Education in India.* Delhi, India: Oxford University press.

Government of India. (1986). *National Policy on Education, 1986 (with Modifications undertaken in 1992)*. New Delhi, India: Ministry of Human Resources Development, New Delhi.

Government of India. (2009). *The Right of Children to Free and Compulsory Education Act*. New Delhi, India: Ministry of Law and Justice.

Singh, Y. K. & Nath, R. (2013). *History of Indian Education system*. Delhi, India: APH Publishing.

World Bank. (2014). *World Development Indicators, Participation in Education.* Washington D.C., USA: World Bank.

10.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:
   - राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज 1 और 2
   - बालिका शिक्षा
   - व्यापक शिक्षा
   - अध्यापकों की उपलब्धता
   - सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण

2) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:
   - नीति–निर्माण और बच्चों के बीच अन्तर
   - शैक्षिक स्तरों और असमानताओं के मुद्दे
   - विश्वसनीय आँकड़ों की कमी

- शिक्षा अध्यापक और संरचना के प्रावधान में गुणवत्ता की कमी

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:
   - बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
   - शिक्षा का अधिकार – मूल अधिकारों का एक भाग
   - सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार
2) आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए:
   - सरकारी विद्यालय व्यवस्था के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं है।
   - जो बच्चे निजी विद्यालयों में प्रवेष लेते हैं उनमें यह देखा जाता है कि वे विशेष लाभ प्राप्त करते हैं और इसीलिए वे शिक्षा में असमानता को पैदा करते हैं अर्थात् इस तरह से असमानता में वृद्धि होती है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY